

### प्ररूप 3

तत्काल आमेलन होने पर किसी राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्ति आदेश

[नियम 32 देखिए]

सं. ....

भारत सरकार

मंत्रालय/विभाग .....

तारीख.....

#### आदेश

श्री/श्रीमती/कुमारी.....(i).....को स्थायी आमेलन होने के आधार पर.....(iii).....के रूप में.....(ii).....में कार्यभार ग्रहण करने के लिए एतद्वारा कार्यमुक्त किया जाता है। उन्हें तारीख.....(iv).....तक .....(ii)..... में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। सरकारी सेवा से उनका त्यागपत्र उस दिन से प्रभावी होगा, जिस दिन वह वास्तव में .....(ii).....में अपना कार्यभार ग्रहण करते/करती हैं और उनके .....(ii)..... में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उसे अधिसूचित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश वह तारीख .....(iv)..... तक.....(ii)..... में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाते/पाती हैं तो उन्हें तुरंत अपने कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा।

2. कार्यमुक्त करने की तारीख और .....(ii).....में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बीच की अवधि को किसी भी प्रकार की शोध्य छुट्टी की और यदि कोई शोध्य छुट्टी शेष नहीं है, तो असाधारण छुट्टी की अनुज्ञा देकर नियमित किया जाएगा।

- (i) कार्यमुक्त किए जाने वाले सरकारी कर्मचारी का नाम, पदनाम और कार्यालय।
- (ii) राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय का नाम।
- (iii) जिस पद पर राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय में अधिकारी की नियुक्ति की जानी है।
- (iv) मंत्रालय/विभाग/कार्यालय उस तारीख को उपदर्शित करेगा जिस तारीख से अधिकारी को राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। यह तारीख उसे कार्यमुक्ति की तारीख से अधिकतम 15 दिन का समय देकर अवधारित की जाएगी। प्राकृतिक आपदा, नागरिक संश्लोभ आदि जैसे अधिकारी के नियंत्रण से बाहर के कारणों के होने की दशा में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तारीख को आगे विस्तारित करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(कार्यमुक्त करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम)

प्रतिलिपि:

1. ....(संबंधित अधिकारी)
2. .... (राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय)
3. वेतन एवं लेखा कार्यालय

FORM 3

Relieving order on joining a State Government or Corporation or Company or Body on immediate absorption basis

[See rule 32]

No.....  
Government of India  
Ministry/Department of.....

Dated the.....

ORDER

Shri/Smt./Km. ....(i)..... is hereby relieved to join.....(ii) as.....(iii).....on permanent absorption basis. He/she should join.....(ii).....by .....(iv)..... His/her resignation from Government service will be effective from the day he/she actually joins .....(ii)..... and it will be notified on the receipt of intimation about the date of his/her joining .....(ii)..... In case for some reason he/she does not join .....(ii).....by.....(iv)....., he/she should report back to his/her office forthwith.

2. The period between the date of relief and the date of joining in .....(ii).....will be regularised by grant of any type of leave due and if no leave is at credit, by extraordinary leave.

- (i) Name, designation and office of the Government servant to be relieved.
- (ii) Name of the State Government or corporation or company or body.
- (iii) Post against which the officer is to be appointed in the State Government or corporation or company or body.
- (iv) The Ministry/Department/Office should indicate the date by which the officer should join the State Government or corporation or company or body. This date will be determined by giving him/her a maximum of 15 days' time from the date of relief. The Competent Authority in the Administrative Ministry/Department/Office may allow any further extension beyond this date in case of reason beyond the control of officer like natural calamity, civil commotion, etc.

(Name and designation of the Relieving Officer)

Copy to :

- 4. ....( Officer concerned)
- 5. ...., (State Government or corporation or company or body).
- 6. Pay and Accounts Office